संख्या : 58/2023/1720652/12-2099/112/2023

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनाँक: 20 जुलाई, 2023

विषय: प्रदेश में धान, गेहूँ, दलहन एवं तिलहन की उत्पादकता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में फसलों की उत्पादकता में अत्यधिक भिन्नता के दृष्टिगत शासनादेश संख्या: 01/73-सम/2023, दिनांक 03 जनवरी, 2023 के क्रम में गठित कमेटी द्वारा अध्ययन कर उच्च स्तर पर आयोजित बैठक में प्रदेश में गेहूँ, धान, दलहन व तिलहन की फसलों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु संस्तुतियां प्राप्त हुई।

2. उल्लेखनीय है कि जहॉ प्रदेश में जनपद बागपत में गेहूँ की उत्पादकता 45.51 कुं0/हे0 दर्ज हुई है, वहीं जनपद सोनभद्र में 27.09 कुं0/हे0 की उत्पादकता वर्ष 2021-22 में दर्ज हुई। तदनुसार उक्त समिति द्वारा अपनी संस्तुतियों में विभिन्न पैरामीटर पर उत्पादकता बढ़ाने हेतु निम्न सुझाव दिये गये हैं:-

(i) फसल कटाई के प्रयोगों को सावधानीपूर्वक किया जाये, जिससे उत्पादकता का सही आंकलन किया जा सके।

(ii) कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार पर कम सिंचाई चाहने वाली प्रजातियोंका चयन एवं उपलब्धता।

(iii) पंक्ति बुवाई हेतु (हैप्पी सीडर/सुपर सीडर/सीड ड्रिल) यंत्र का उपयोग।

(iv) समय से बुवाई हेतु जीरोट्रिल सीड ड्रिल का प्रयोग।

(v) सोलर सिंचाई पम्पों के प्रयोग को बढ़ावा।

(vi) भूमि एवं बीज शोधन।

(vii) सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (स्प्रिंक्लर) के प्रयोग को बढ़ावा।

(viii) लेजर लैण्ड लेवलर यंत्र का प्रयोग।

(ix) मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित उर्वरकों एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों का समय से प्रयोग।

3. इसी प्रकार धान की उत्पादकता जनपद औरैया में 51.06 कुं0/हे0, है, वहीं जनपद श्रावस्ती में धान की उत्पादकता मात्र 29.21 कुं0/हे0 वर्ष 2021-22 में दर्ज की गई। इस सम्बन्ध में समिति द्वारा अपनी संस्तुतियों में विभिन्न प्रभावी बिन्दुओं का निम्नवत उल्लेख किया गया है:-

(i) फसल कटाई के प्रयोगों को सावधानीपूर्वक किया जाये, जिससे उत्पादकता का सही आंकलन किया जा सके।

(ii) प्रति वर्ग मी0 पौध संख्या 50 से 55 प्रति हिल रखी जाये।

(iii) धान की रोपाई हेतु पैडी ट्रांसप्लान्टर पर अनुदान (50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक) बढ़ाया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(iv) ड्रम सीडर का प्रयोग एवं श्री (SRI) विधि का प्रयोग किया जाये।

(v) हल्दिया अवरोधी प्रजातियों को बढ़ावा दिया जाये।

(vi) बाढ़ एवं जल-भराव वाले क्षेत्रों में जल लहरी, जल निधि स्वर्णा, सांभा सब-1 जैसी प्रजातियों की रोपाई की जाये।

(vii) मिट्टी में जीवाश्म कार्बन की वृद्धि के लिए हरी खाद, गोबर की खाद एवं कम्पोस्ट के प्रयोग को बढ़ावा।

(viii) कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में वैकल्पिक फसलें, मक्का, मिलेट्स (श्री अन्न), सब्जी आदि की फसलें बोयी जायें।

(ix) ग्राम स्तर पर सामूहिक भण्डारण क्षमताओं का विकास किया जाये।

4. दलहनी फसलों की उत्पादकता प्रदेश में जनपद रामपुर में 23.22 कुं0/हे0 प्राप्त की गयी, वहीं जनपद रायबरेली में उत्पादकता 5.56 कुं0/हे0 वर्ष 2021-22 में दर्ज की गई। इसी प्रकार जनपद महोबा एवं ललितपुर में क्रमशः 7.76 कुं0/हे0 एवं 7.78 कुं0/हे0 प्राप्त की गई। समिति द्वारा दलहन उत्पादन में वृद्धि के दृष्टिगत निम्न संस्तुतियॉ की गयीं:-

(i) अधिक उपज वाली प्रजातियों का प्रयोग।

(ii) किसानों को पंक्ति से पंक्ति बुवाई हेतु प्रेरित करना।

(iii) खरीफ मौसम में हरी खाद की बुवाई हेतु कृषकों को प्रेरित करना।

(iv) किसानों द्वारा फसल की समय से बुवाई करना।

(v) बीज प्रतिस्थापन दर को बढ़ाया जाना।

(vi) किसानों द्वारा फसल की बुवाई उचित नमी में कराया जाना, जिससे बीज के जमाव को बढ़ाया जा सके।

(vii) दलहनी फसलों में स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देना।

(viii) दलहनी फसलों में पोस्ट इमरजेंस व प्री इमरजेंस खरपतवारनाशी के प्रति कृषकों को समय से जागरूक करना।

(ix) गर्मियों में गहरी जुताई हेतु प्रोत्साहित करना।

5. तिलहनी फसलों की उत्पादकता प्रदेश में जनपद हापुड़ में 22.18 कुं0/हे0 दर्ज की गयी, जबकि प्रदेश के ही जनपद बांदा में 3.44 कुं0/हे0 की उपज प्राप्त की गयी तथा जनपद ललितपुर एवं झांसी में क्रमशः 4.79 एवं 4.93 कुं0/हे0 उत्पादन प्राप्त किया गया। तिलहन फसलों की उत्पादकता बढ़ाये जाने हेतु गठित समिति द्वारा निम्न संस्तुतियॉ की गयीं:-

(i) उन्नतशील एवं रोग/कीट प्रतिरोधी प्रजातियों का चयन कर बुवाई करने से 20 से 30 प्रतिशत उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।

(ii) मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर उर्वरकों का संतुलित मात्रा में उपयोग किया जाय।

(iii) फसलों की समय-समय पर निगरानी एवं समय पर निराई, गोड़ाई एवं कृषि क्रियाओं का करना।

(iv) प्रत्येक दो वर्ष में हरी खाद एवं गोबर खाद का उपयोग करने से मिट्टी में जीवाष्म पदार्थ एवं लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि होगी जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तथा उत्पादन में वृद्धि होगी।

(v) समय पर फसलों की बुवाई करने पर कीट रोग एवं खरपवारों का प्रयोग कम होगा तथा फसल की बढ़वार भी अच्छी होगी जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(vi) तिलहन आधारित उद्योगों की स्थापना होने से कृषकों को उत्पादन का सही मूल्य मिलेगा, जिससे तिलहन के उत्पादन में कृषकों की रूचि बढ़ेगी।

6. उल्लेखनीय है कि राज्य की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डालर बनाने हेतु आगामी 03 वर्षो में दलहन, तिलहन, श्री अन्न, गन्ना एवं औद्यानिक फसलों के उत्पादन में देश में अग्रणी भूमिका अदा करने का प्रयास किया जाना होगा। दलहनी, तिलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाने हेतु जिप्सम, सल्फर तथा हरी खाद के प्रयोग को बढ़ावा देकर प्राप्त किया जा सकता है। फसलोत्पादन में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (स्प्रिंकलर) का प्रयोग कर कम पानी में अधिक क्षेत्र को सिंचित किया जाये। इसी तरह बदलते मौसम के रूख को दृष्टिगत रखते हुए फसलों की विभिन्न प्रजातियों का चयन एग्रोक्लाइमेटिक जोन के आधार पर किया जाये।

कृषि तकनीकी सहायकों को स्मार्ट-फोन/टेबलेट उपलब्ध कराने की कार्य योजना भी सम्मिलित किया जाये। खरीफ मौसम में आयोजित की जाने वाली किसान पाठशालाओं में दलहन, तिलहन, श्री अन्न की फसलोत्पादन के प्रभावी बिन्दु कृषकों के बीच में बताया जाये। कृषि विभाग के अधिकारियों एवं उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम के आपसी सहयोग से बीजों की उपलब्धता तय की जाये एवं राज्य स्तर पर सीड प्रोड्क्शन सेन्टर स्थापित करने की कार्यवाही की जाये।

7. कृषि विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा अपने-अपने जनपदों में इन फसलों के विकास खण्डवार उत्पादकता के आंकड़े संग्रहित कर यह सुनिश्चित सुनिश्चित किया जाये कि अधिक उत्पादकता वाले विकास खण्डों की समीक्षा कर कम उत्पादकता वाले विकास खण्डों में ली जाने वाली फसलों के उन्नतशील पैकेज एवं प्रैक्टिसेज अपना कर उत्पादकता को बढ़ाया जायेगा। इसकी कार्य योजना भी जनपदों से प्राप्त कर कृषि निदेशालय स्तर पर संकलित की जायेगी।

औद्यानिक फसलों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु जनपदवार, फसलवार कार्य योजना भी तैयार की जाये, जिससे कृषि विविधीकरण को बढ़ावा दिया जा सके।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या : 58/2023/1720652(1)/12-2099/112/2023 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
6. निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
7. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
8. निजी सचिव, सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।